

## दो से अधिक संतान होने पर भर्ती, पदोन्नति व एसीपी पर प्रभाव डालने वाले आदेशों का संकलन

(पूर्ण आदेश पढ़ने के लिए संबंधित विवरण को टच करें।)

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश		कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश	
आदेश का संक्षिप्त विवरण	आदेश दिनांक	आदेश का संक्षिप्त विवरण	आदेश दिनांक
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी देय नहीं	31-Dec-2009	01.06.2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने पर राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा	20-Jun-2001
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी देय नहीं	31-Dec-2009	01.06.2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने पर राज्य सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी	26-Jun-2001
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी पांच वर्ष बाद देय होगी	06-Oct-2015	पूर्व में एक संतान होने पर द्वितीय प्रसव पर जन्मी दो संतानों को एक इकाई माना जाएगा	08-Apr-2003
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी पांच वर्ष बाद देय होगी	06-Oct-2015	01.06.2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति पर पांच वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा।	13-Aug-2004
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी तीन वर्ष बाद देय होगी	01-Jun-2017	पदोन्नति समिति के समक्ष रखे जाने वाले परिशिष्ट डी में संतान से संबंधित सूचना का कालम जोड़ा गया	29-Oct-2004
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी तीन वर्ष बाद देय होगी	01-Jun-2017	पूर्व प्रसव में उत्पन्न विकलांग संतान को संतानों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा।	24-Feb-2011
विधिक रूप से किये गये द्वितीय विवाह से उत्पन्न प्रथम संतान एसीपी में संतानों की गणना में शामिल नहीं होगी	24-Jul-2017	पूर्व प्रसव में उत्पन्न विकलांग संतान को संतानों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा।	24-Feb-2011
विधिक रूप से किये गये द्वितीय विवाह से उत्पन्न प्रथम संतान एसीपी में संतानों की गणना में शामिल नहीं होगी	24-Jul-2017	कानूनी पुनर्विवाह पश्चात प्रथम प्रसव पर संतान पैदा होने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं माना जाएगा यदि विवाह से पूर्व अयोग्य न हो	20-Nov-2015
पूर्व एसीपी तीन साल से अधिक देरी से दिये जाने के बावजूद भी आगामी एसीपी देय तिथि से केवल तीन साल बाद देय होगी	12-Jan-2018	01.06.2002 के बाद दो से अधिक संतान होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होगी	11-May-2016
विधिक रूप से किये गये द्वितीय विवाह से उत्पन्न प्रथम संतान एसीपी में संतानों की गणना में शामिल नहीं होने का नियम 01.01.2006/01.09.2006 से लागू	07-Oct-2020	राजकीय शिशुग्रह से विधिपूर्वक गोद ली गई संतान को संतानों की संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा।	02-Aug-2016
विधिक रूप से किये गये द्वितीय विवाह से उत्पन्न प्रथम संतान एसीपी में संतानों की गणना में शामिल नहीं होने का नियम 01.01.2006/01.09.2006 से लागू	07-Oct-2020	01.06.2002 या उसके बाद दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति पर तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जाएगा।	19-Sep-2017
दो से अधिक संतान होने पर एसीपी तीन वर्ष बाद देय होगी परन्तु आगे की एसीपी पर परिणामी प्रभाव नहीं डाला जाएगा	18-Dec-2020	नियम 25 सी के तहत की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप दण्डित किये जाने पर दिनांक 11.05.2016 के बाद की पदोन्नतियों पर दण्ड का प्रभाव शून्य माना जावेगा	05-Oct-2018
उक्त पीडीएफ में यदि कोई आदेश और जोड़ा जाना है तो यहाँ टच/ क्लिक कर संकलनकर्ता से व्हाट्सएप पर संपर्क करे व जोड़े जाने वाले आदेश की पीडीएफ प्रति भेजे।		पूर्व प्रसव में उत्पन्न विकलांग संतान को संतानों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। (01.06.2002 से लागू)	03-Jul-2019
आपके सहयोग व सलाह अनुसार उक्त फाईल में नियमित अन्तराल पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों को जोड़ा जाता है अध्ययन प्रति फाईल के टाइटल को या यहाँ क्लिक कर डाउनलोड की जा सकती है।		कानूनी पुनर्विवाह पश्चात प्रथम प्रसव पर संतान पैदा होने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं माना जाएगा यदि विवाह से पूर्व अयोग्य न हो (01.06.2002 से लागू)	18-Aug-2020
Hon.High court judgement of year 2021 Which clarify that if your acp has been effected than your promotion could not be affected		विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए दत्तक ग्रहण की गई संतान को संतान की संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा। परन्तु राजसेवक द्वारा स्वयं के जैविक प्रसव से उत्पन्न संतान को दत्तक दिया जाता है तो संतान की कुल संख्या में गिना जाएगा।	27-Dec-2021
दो से अधिक संतान होने पर भर्ती व पदोन्नति पर प्रभाव के संबंध में अब तक के आदेशों के स्थान पर नये दिशा निर्देश प्रतिस्थापित किये जो कि 18.03.2023(राजपत्र में प्रकाशन की तिथि) से लागू होंगे		दो से अधिक संतान होने पर भर्ती व पदोन्नति पर प्रभाव के संबंध में अब तक के आदेशों के स्थान पर नये दिशा निर्देश प्रतिस्थापित किये (18.03.2023 से लागू)	16-Mar-2023
आदेश का हिन्दी वर्जन देखने के लिए यहाँ टच करे।		5/3 वर्ष का दण्ड दिया जाकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति वर्ष 2019-20 तक की जा चुकी है उनकी पदोन्नति भी नियत देय तिथि से की जाएगी।	24-May-2023